तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की ... मे जारी
[illegible]	पत्रावली पेश हुई। [illegible] हेतु [illegible] है, [illegible] हो। [illegible] दिनांक 12/5/25 को पेश हो। (रविप्रकाश RAS) उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, जैतारण (ब्यावर)	
12/5/25	पत्रावली पेश हुई आज S.D.O. साहब दौरे पर, दिगर कार्य में व्यस्त/ वकीलों द्वारा कोर्ट कार्य स्थगित रखने से पत्रावली आयन्दा दिनांक 9/6/2025 को पेश हो।	
9/6/25	पत्रावली पेश हुई आज S.D.O. साहब दौरे पर, दिगर कार्य में व्यस्त/ वकीलों द्वारा कोर्ट कार्य स्थगित रखने से पत्रावली आयन्दा दिनांक 7/7/2025 को पेश हो।	
7/7/25	पत्रावली पेश हुई आज S.D.O. साहब दौरे पर, दिगर कार्य में व्यस्त/ वकीलों द्वारा कोर्ट कार्य स्थगित रखने से पत्रावली आयन्दा दिनांक 11/8/2025 को पेश हो।	
11/8/25	पत्रावली पेश हुई। अभि० व सर० पैरो० उप० अभि० प्रार्थी की बहस सुनी गई। अभि० वादी ने दौराने बहस कथन किया कि सरहद मौजा कि०बोल के खसरा संख्या 2018/2 कुल रकबा 8 बीघा में से 2-13 बीघा भूमि औद्योगिक प्रयोजनार्थ (मार्बल स्लेब ग्राइंडिंग) लघु उद्योग संपरिवर्तन आदेश दिनांक 09/03/2021 के द्वारा खातेदार रिजेन्ट ट्रेडिंग प्रा०लि०, कोलकाता के नाम जारी किया हुआ है अतः उक्त वादपत्र को खारिज फरमावे। अभि० प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत संपरिवर्तन आदेश व प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। सर० पैरो० की बहस सुनी गई। उभयपक्ष की बहस पर गौर करते हुए मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार जैतारण द्वारा वादग्रस्त आराजी के संबंध में [illegible] टीन शेड व चारदीवारी बनाकर पाउडर भरकर उपयोग करने से दर्ज किया है। परन्तु अभि० प्रति० द्वारा प्रस्तुत संपरिवर्तन आदेश से स्पष्ट है कि वादग्रस्त उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर	

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	आराजी का कार्यालय विहित प्राधिकारी उपखण्ड अधिकारी जैतारण के पत्र क्रमांक 204 दिनांक 09.03.2021 द्वारा औद्योगिक प्रयोजनार्थ (चाईना क्ले ग्राइंडिंग) लघु उद्योग के रूप में संपरिवर्तित की जा चुकी है। अतः उक्त वादग्रस्त भूमि का अकृषि (औद्योगिक रूप) में उपयोग संपरिवर्तन के उपरान्त ही किया जा रहा है जो कि राज० काश्तकारी अधि० 1955 के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं है। अतः उक्त वादग्रस्त भूमि संपरिवर्तित है तथा इसका उपयोग/उपभोग इसी अनुरूप हो रहा है। फलतः उक्त वादी का वाद बखूबी साबित नहीं होने एवं सारहीन होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील आवश्यक दाखिल दफ्तर लेखा भण्डार जमा हो। उपखण्ड अधिकारी एवं पीठासीन [illegible] जैतारण (ब्यावर)	